

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 991/2018

Kum. Pooja D/o Shri Narsingh, aged 14 years, Minor Through Her Natural Guardian And Father Shri Narsingh S/o Shri Mangla Ram, R/o Dhani Devando Wali, Govindpura Bachhdi, Tehsil Shahpura, District Jaipur Rajasthan

----Claimant/Appellant

Versus

1. Surajbhan Yadav S/o Shri Narayan Lal Yadav, R/o Shyam Mohalla, Village Bilandarpur, Tehsil Shahpura, District Jaipur Raj (Driver And Owner Jeep No. RJ 31 C 1497)
2. Chetram S/o Shri Jaimalram, R/o Manuka, Tehsil And District Hanumangarh (Raj) (Registered Owner Jeep No. RJ 31 C 1497)
3. The United India Insurance Company Limited, Regional Office, Vishal Chamber, Tonk Road, Jaipur Through Regional Manager

----Non-Claimants-Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Sandeep Mathur, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rizwan Ahmed, Adv. & Mr. Mohsin, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

08/05/2026

1. अपीलार्थिया पूजा की ओर से जरिये संरक्षक पिता द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण शाहपुरा, जिला जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-159/2011, कुमारी पूजा बनाम सूरजभान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थिया द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 30,90,000 /—रुपये** क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को **कुल 9,75,361 /— रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय **ब्याज 09 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थिया की ओर से जरिये संरक्षक पिता द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थिया 7 वर्षीय बालिका थी, जिसे कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर उसकी मासिक आय की गणना अपेक्षित थी। दुर्घटना में अपीलार्थिया के शरीर पर कई गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 67.17 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख—सुविधा की कमी के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थिया की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया को कारित हुई साधारण व गंभीर चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थिया के शरीर पर कुल 67.17 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap Son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

“12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries.

13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in *Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd.* explained “just compensation” in the following words:

15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a “just compensation”. It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of “just compensation” obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field.”

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 20.01.2011 की बताई गयी है तथा क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थिया को 7 वर्ष के आयु की बालिका होना बताया गया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा आहता बालिका को कारित चोटों के फलस्वरूप एकमुश्त 3,40,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई गई है। किंतु मोटर वाहन दुर्घटना के उन मामलों में जहां बच्चे की मृत्यु कारित हो जाती हो या वह आहत हो जाता हो, वहां उस बालक को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित किये जाने की सुस्थापित विधि है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Hitesh Nagjibhai Patel Patel Vs. Bababhai Nagjibhai Rabari & Anr., Civil Appeal No. 10278/2025 (Arising Out of SLP (C) No. 14444/2025)** में यह मत व्यक्त किया है कि :-

"9. On the aspect of monthly income of the minor appellant, we are inclined to interfere with the judgment and order of the Courts below. In the present case, it is evident that the Courts below have failed to take into account the monthly income of the appellant while determining the quantum of compensation. It is now a well-entrenched and consistently reiterated principle of law that a minor child who suffers death or permanent disability in a motor vehicle accident, cannot be placed in the same category as a non-earning individual for the purposes of assessing the amount of compensation because the child was not engaged in gainful employment at the time of the accident. In such a case, the computation of compensation under the head of loss of income ought to be made by adopting, at the very least, the minimum wages payable to a skilled workman as notified for the relevant period in the respective State where the cause of action arises. The said observation was rendered by this Court, in **Kajal v. Jagdish Chand and**

Ors.3, and *Baby Sakshi Greola v. Manzoor Ahmad Simon and Anr.*4.

14. As can be seen, there is a great difference between the compensation as awarded by the Courts below and the compensation payable as per law. We are constrained to observe that appeals to the High Court as well as to this Court were entirely avoidable, since the law had been amply clarified well before the order of the Tribunal was made on 17.10.2021 by way of the judgment rendered by this Court in ***Kajal*** (supra) decided on 05.02.2020. Both the Courts were duty-bound to keep abreast with the law as clarified by this Court, ensuring that the judgments and orders passed by them are entirely in order therewith.

15. For the purpose of emphasis, it is again clarified here that when a Tribunal or the High Court in appeal, is concerned with the case involving a child having suffered injury or having passed away, the calculation of loss of income necessarily has to be made on the matric of minimum wages payable to a skilled worker in the respective State at the relevant point of time. It is our hope that this restatement helps avoiding such errors and thereby obviates the necessity of this Court's interference, applying well-established principles of law."

8. ऐसी स्थिति में हम, **Hitesh Nagjibhai Patel (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए इस मामले में भी आहता बालिका को वक्त घटना कुशल श्रमिक होना मानते हुए घटना की तिथि 20.01.2011 को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी दैनिक आय 155/— रुपये, तदनुसार मासिक आय $155 \times 30 = 4,650$ /— रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थिया को 07 वर्ष की आयु का होना माना गया है। ऐसी स्थिति में नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680 के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय

4,650/— रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत 1,860/— रुपये की बढ़ोतरी के उपरांत अपीलार्थिया की कुल मासिक आय 6,510/— रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

9. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थिया के सिर, दोनों पैर व शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थिया का बायां पैर ढाई इंच तक छोटा हो गया है। अपीलार्थिया के कारित चोटों के सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थिया के शरीर में कुल 67.17 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-13 के अवलोकन से स्पष्ट है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थिया को 67.17 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को पूर्णांक में 68 प्रतिशत होना प्रमाणित माना है। इस प्रकार अपीलार्थिया को कारित हुई 67.17 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर हम, अपीलार्थिया को आय की क्षति भी पूर्णांक में 68 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थिया की निर्धारित मासिक आय 6,510/— रुपये का 68 प्रतिशत 4,427/— रुपये होता है जो अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थिया बालिका की आयु 7 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी. सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **15 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **4,427 x 12 x 15 = 7,96,860/— रुपये** होती है जो अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी है।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को मेडिकल बिलों की मद में 42,861/— रुपये तथा 75 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 37,500/— रुपये तथा परिवहन व पौष्टिक आहार की मद में संयुक्त रूप से 25,000/— रुपये की राशि दिलवाई गई है। अतः उक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 5,00,000/— रुपये की राशि दिलवाई गई है। उक्त राशि को हम शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा में कमी की मद में आंका जाना उचित समझते हैं।
12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को 6 ऑपरेशन हेतु प्रति ऑपरेशन 5,000/— रुपये की दर से शल्य चिकित्सा की मद में 30,000/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसे संशोधित करते हुए उक्त मद में हम अपीलार्थिया प्रति ऑपरेशन 10,000/— रुपये की दर से 60,000/— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
13. विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में अपीलार्थिया के विवाह में आने वाली कठिनाईयों की मद में कोई राशि अपीलार्थिया को नहीं दिलवाई गई है। दौराने इलाज अपीलार्थिया का बायां पैर ढाई इंच तक छोटा हो गया है। ऐसे में भविष्य में अपीलार्थिया के विवाह की संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में हम, अपीलार्थिया को 1,00,000/— रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
14. उक्तानुसार अपीलार्थिया/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है :—

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	7,96,860/— रुपये
2.	मेडिकल बिलों की मद में	42,861/— रुपये
3.	75 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	37,500/— रुपये
4.	परिवहन एवं यातायात व्यय तथा पौष्टिक आहार की मद में	25,000/— रुपये
5.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा में कमी के मद में	5,00,000/— रुपये
6.	6 ऑपरेशन हेतु शल्य चिकित्सा की मद में	60,000/— रुपये
7.	भविष्य में विवाह में आने वाली कठिनाईयों की मद में	1,00,000/— रुपये
8.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	15,62,221/— रुपये

9.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	9,75,361 /— रुपये
10.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	5,86,860 /— रुपये

15. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थिया/क्लेमेंट को **9,75,361 /— रुपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **15,62,221 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थिया द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी पायी जाती हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थिया को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाया गया है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थिया 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी है।

17. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

18. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

19. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J